उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैबः https://uic.uk.gov.in

पत्रांक 1065 / उ0सू0अ0 / 2025–26 दिनांक 26.09.2025

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज निदेशालय उत्तराखण्ड
देहरादून।

विषय :– पंचायती राज विभाग में विकास खण्ड स्तर पर नामित अपीलीय अधिकारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तराखण्ड सूचना आयोग द्वारा दिनांक 09 सितम्बर, 2025 को जनपद स्तरों पर सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु प्रत्येक जनपद से ग्राम्य विकास विभाग के दो–दो अधिकारियों को "मास्टर ट्रेनर्स" का प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा अवगत कराया गया है कि विकास खण्ड स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का अपीलीय अधिकारी नामित किया गया है। खण्ड विकास अधिकारी का ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पर कोई सीधा नियंत्रण न होने के कारण पंचायत स्तर की सूचना दिलाए जाने में कठिनाई होती है। अतः विकास खण्ड स्तर पर पंचायती राज विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी को ग्राम पंचायत विकास अधिकारी का अपीलीय अधिकारी नामित किया जाए।

प्रशिक्षण के दौरान यह भी संज्ञान में आया है कि उत्तराखण्ड पंचायती राज अधिनियम 2016 के हिन्दी संस्करण में धारा 39 में अंकित है कि **ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख ग्राम पंचायत के सचिव की अभिरक्षा में रहेंगे जबकि अंग्रेजी संस्करण में उक्त धारा में ग्राम पंचायत के सभी अभिलेख ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में रहेंगें, का उल्लेख है,** जोकि आपस में विरोधाभाषी है जिस पर स्थिति स्पष्ट किया जाना अपेक्षित हैं। अभिलेखों का उचित रख–रखाव किया जा सके ऐसी स्थिति में पंचायत से संबंधित अभिलेख सचिव, पंचायती राज की अभिरक्षा में रखा जाना उचित होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी रूप से कियान्वयन हेतु अभिलेखों का उचित प्रकार से रख–रखाव आवश्यक है। पंचायत से संबंधित अभिलेख वर्तमान में ग्राम प्रधान की अभिरक्षा में रखे जा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अभिलेखों के उचित रख–रखाव के लिए ग्राम प्रधान को भी उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाना अति आवश्यक है साथ ही ग्राम प्रधानों को सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का प्रशिक्षण प्रदान किया जाने की आवश्यक भी है। उक्त परिपेक्ष्य में उचित होगा कि ग्राम प्रधानों के लिए विभागीय स्तर पर जब भी कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में अभिलेखों के रख–रखाव और सूचना का अधिकार अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाए। इस हेतु ग्राम प्रधानों को यू0आई0आर0डी0 रूद्रपुर अथवा ए0टी0आई0 नैनीताल के माध्यम से भी प्रशिक्षण प्रदान कराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त के संदर्भ में अपने स्तर से प्रभावी कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से आयोग को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया

Digitally signed by
RADHA RATURI
Date: 25-09-2025
15:54:16 (राधा रतूड़ी)
मुख्य सूचना आयुक्त